

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9010(रा.वि.)/2013(TIMES) / 2147-63

दिनांक:-

5 APR 2017

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व/पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्यालय/प्रोजेक्ट/एनसीआर/जेडएसपी।
वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
उप नगर नियोजक, अलवर/भरतपुर।

विषय:- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दौरे, निरीक्षण एवम् रात्रि विश्राम के मासिक लक्ष्य, क्रियान्विति एवम् निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक प.3(2)प्रसु/टाइम्स/2015 दिनांक 03.02.2017 एवं 15.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या प.2(57) प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 15.03.2017 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप द्वारा किये गये दौरे, निरीक्षण एवम् रात्रि विश्राम के मासिक लक्ष्य, क्रियान्विति एवम् निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जा रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा किये गये दौरे, निरीक्षण एवम् रात्रि विश्राम के मासिक लक्ष्य, क्रियान्विति एवम् निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करावे, ताकि तदानुसार राज्य सरकार को सूचना भिजवायी जा सके।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

313

835

17/3/17

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग

क्रमांक प.2(57)प्रसु/टाइम्स/2013

जयपुर, दिनांक : 15.03.2017

वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
जयपुर।

15/3/17

विषय:- दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य एवं क्रियान्विति अंकित करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक टीपीआर 9010(रावि)/2013/246 दिनांक 16.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विभाग में जिन अधिकारियों के पद रिक्त रहते हैं एवं रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को दिया जाता है, वे ही अधिकारी अपने पद के साथ-साथ अतिरिक्त पद के कार्य की पूर्ति भी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अंकित करेंगे।

अतः विभाग में रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार जिन अधिकारियों को दिया गया है। कृपया उक्त परिपत्र दिनांक 06.11.2015 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय

(मंगल चन्द मीणा)
शासन उप सचिव

DT/...

...

OS 20/3/17

...